<u>भारत में आईसीडी/सीएफएस की स्थापना संबंधी प्रस्तावों</u>
<u>के प्रहस्तन हेतु जाँच सूची</u>

<u>भूमि संबंधी अपेक्षा (आवेदन पत्र, परियोजना एवं व्यवहार्यता रिपोर्ट के साथ वाणिज्य विभाग के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज);</u>

1. आईसीडी/सीएफएस की स्थापना संबंधी आईएमसी दिशा-निर्देशों के अनुसार आईसीडी की स्थापना हेतु न्यूनतम क्षेत्र अपेक्षा चार हेक्टेयर और सीएफएस हेतु एक हेक्टेयर है ।

   तथापि प्रौद्योगिकीय उन्नयन और अन्य विशेष कारकों जो ऐसे विचलन को उचित सिद्ध करें, के आधार पर कम क्षेत्र वाले किसी प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है । भूमि की अपेक्षा में छूट का अनुमोदन आईएमसी द्वारा किया जाता है ।

2. आईसीडी/सीएफएस की स्थापना की इच्छुक कंपनी के नाम पर प्रस्तावित भूमि के संबंध में संबंधित उप-पंजीयक के कार्यालय में विधिवत पंजीकृत बिक्री विलेख अथवा पट्टा विलेख (न्यूनतम 15 वर्षों की अवधि के लिए दीर्घकालिक आधार पर) की सत्यापित/प्रमाणित/नोटरीकृत प्रति । यह विकासकर्ता द्वारा भूमि के स्वामित्व/दीर्घकालिक पट्टे का प्रमाण देने हेतु अपेक्षित है ।

   यदि बिक्री/पट्टा विलेख अंग्रेजी को छोड़कर किसी अन्य भाषा में हो तो उसके तथ्यों की जाँच के लिए सत्यापित/नोटरीकृत/अधिप्रमाणित अंग्रेजी अनुवाद भी अपेक्षित है ।

3. यदि उक्त भूमि कृषि हेतु आशयित हो तो भूमि के कृषि से इतर इस्तेमाल के लिए संबंधित प्राधिकारी से भूमि उपयोग के परिवर्तन संबंधी प्रमाणपत्र (सीएलयू) ।

4. संबंधित राजस्व प्राधिकारी जो तहसीलदार के स्तर से कम का न हो, द्वारा विधिवत जारी इस आशय के प्रमाणपत्र की सत्यापित/प्रमाणित/नोटरीकृत प्रति कि उक्त भूमि, भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्रवाई आदि तथा सीएलयू प्रमाणपत्र से मुक्त है ।

   आवेदक कंपनी द्वारा एक अलग पृष्ठ पर सर्वेक्षण सं. आदि सहित भूमि की माप का ब्यौरा देना अपेक्षित है । अनधिग्रहण प्रमाणपत्र तथा सीएलयू प्रमाणपत्र में दर्शाई गई सर्वेक्षण संख्याएँ तहसीलदार के प्रमाणपत्र और बिक्री/पट्टा विलेख में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याओं से मेल खानी चाहिए ।

5. भूमि के सभी बाधाओं से मुक्त होने आदि के बारे में विकासकर्ता द्वारा वाणिज्य विभाग के समक्ष वचनपत्र प्रस्तुत करना (दिनांक 21.10.10 को आयोजित आईएमसी की बैठक में विचारित प्रस्तावों के संबंध में सीबीईसी द्वारा यह शर्त निर्धारित की गई है) ।

अन्य दस्तावेज

6. प्रपत्र- 32 में संस्था के अंतर्नियम तथा निदेशकों के ब्यौरे की प्रति प्रस्तुत करना ।

7. यदि प्रस्ताव रेल मार्गसंबद्ध आईसीडी/सीएफएस के बारे में हो तो आवेदक द्वारा परियोजना रिपोर्ट की एक प्रति स्थानीय रेलवे के मुख्य परिवहन योजना प्रबंधक को भेजना अपेक्षित है ।

संबंधित मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियाँ

1. परियोजना प्रस्ताव पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी)/संबंधित सीमाशुल्क आयुक्त की टिप्पणियाँ ।

2. यदि प्रस्ताव किसी पत्तन शहर में सीएफएस की स्थापना से संबंधित हो तो निकटतम/संबंधित पत्तन प्राधिकारी की टिप्पणियाँ । आईसीडी के मामले में चूँकि वह सामान्यतः सेवा पत्तनों से दूर देश के आंतरिक इलाकों (पत्तन शहर के बाहर) में अवस्थित होता है, पत्तन प्राधिकारी की टिप्पणियाँ अनिवार्य नहीं हैं । तथापि यह निर्णय आईएमसी द्वारा लिया जाएगा ।

3. विशेष रूप से किसी प्रस्तावित आईसीडी/सीएफएस के रेलमार्ग-संबद्ध परियोजना होने की स्थिति में रेल मंत्रालय की टिप्पणियाँ ।